न्यूज़ टुडे

सुप्रीम कोर्ट ने POSH अधिनियम के प्रभावी अनुपालन के लिए निर्देश जारी किए

सुप्रीम कोर्ट ने **महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, निषेध और रोकथाम) अधिनियम, 2013 (POSH अधिनियम)** के एक समान कार्यान्वयन के लिए सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश जारी किए।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्देशों पर एक नजर

- सरकार को POSH अधिनियम के अंतर्गत कार्यों को करने के लिए प्रत्येक जिले में एक **डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर** अधिसूचित करना चाहिए।
- **डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के कर्तव्यों में निम्नलिखित शामिल हैं:**
  - जिले में संगठनों के अंतर्गत **आंतरिक शिकायत समिति (Internal Complaints Committee) का गठन** सुनिश्चित करना।
    - POSH अधिनियम की **धारा 4 के अनुसार प्रत्येक नियोक्ता को आंतरिक शिकायत समिति का गठन करना अनिवार्य है।** पीड़िता को अपनी शिकायत आंतरिक शिकायत समिति के पास भेजनी होगी। समिति उसकी जांच शुरू करेगी और उचित कार्रवाई की सिफारिश करेगी।
  - POSH अधिनियम की **धारा 6** के अंतर्गत निर्धारित **'स्थानीय समिति'** का गठन सुनिश्चित करना।
    - **स्थानीय समिति** उन संस्थानों या प्रतिष्ठानों से लैंगिक उत्पीड़न की शिकायतें स्वीकार करती है, जहां **10 से कम कर्मचारियों के कारण आंतरिक शिकायत समिति का गठन नहीं** हुआ है या यदि शिकायत नियोक्ता के खिलाफ की गई है।
  - **ग्रामीण या जनजातीय क्षेत्र में प्रत्येक ब्लॉक/ तालुका/ तहसील** में और शहरी क्षेत्रों में **नगरपालिका** में एक नोडल अधिकारी नामित करना।
- **स्थानीय समिति** का अधिकार क्षेत्र **संबंधित जिले** तक होता है।
- प्रत्येक राज्य को लैंगिक उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराने के लिए **'शी-बॉक्स' स्थापित करने के बारे में सोचना चाहिए।**
  - **लैंगिक उत्पीड़न इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स (शी-बॉक्स/ SHe-Box)** का उद्देश्य प्रत्येक महिला को लैंगिक उत्पीड़न की शिकायतों को दर्ज कराने की सुविधा हेतु सिंगल विंडो विकल्प प्रदान करना है।

POSH अधिनियम, 2013 के मुख्य प्रावधानों पर एक नजर

- **लैंगिक उत्पीड़न की परिभाषा:** इसमें सभी प्रकार के लैंगिक उत्पीड़न शामिल हैं। जैसे शारीरिक संपर्क, सेक्सुअल फेवर की मांग करना, लैंगिक टिप्पणियां करना, अश्लील साहित्य दिखाना, या लैंगिक प्रकृति का कोई अन्य अवांछित शारीरिक, मौखिक या गैर-मौखिक आचरण करना।
- **इसका लागू होना:** यह सभी कार्यस्थलों पर लागू होता है-
  - जैसे सरकारी और निजी संस्थान,
  - अस्पताल व गैर-सरकारी संगठन,
  - नियोजन में रहते हुए कंपनी या प्रतिष्ठान के काम से कर्मचारी द्वारा विजिट किया गया कोई भी स्थान (नियोक्ता द्वारा प्रदान किए गए परिवहन सहित), और यहां तक कि आवासीय स्थान भी।
- **शिकायत समितियां:** इसमें आंतरिक शिकायत समिति और स्थानीय समिति के गठन का प्रावधान किया गया है।

रातापानी वन्यजीव अभयारण्य को मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिज़र्व घोषित किया गया

मध्य प्रदेश के अन्य टाइगर रिज़र्व **कान्हा, सतपुड़ा, बांधवगढ़, पेंच, संजय-दुबरी, पन्ना और वीरांगना दुर्गावती** हैं।

रातापानी वन्यजीव अभयारण्य के बारे में

- **अवस्थिति:** यह **मध्य प्रदेश के रायसेन और सीहोर जिलों** में स्थित है।
- **प्रमुख स्थल:** इसमें विश्व धरोहर स्थल **"भीमबेटका शैलाश्रय"** और कई अन्य स्थल जैसे गिन्नौरगढ़ का किला, PoW कैंप, केरी महादेव, झोलियापुर बांध आदि शामिल हैं।
- **वनस्पति और जीव:**
  - रातापानी में **शुष्क पर्णपाती और आर्द्र पर्णपाती** प्रकार के वन पाए जाते हैं। इस वन के लगभग **55 प्रतिशत क्षेत्र पर सागौन** के वृक्ष मौजूद हैं।
  - **प्रमुख प्राणियों** में बाघ, तेंदुआ, भालू, लकड़बग्घा, चित्तीदार हिरण, सांभर हिरण आदि शामिल हैं।

भारत में टाइगर रिज़र्व घोषित करने की प्रक्रिया

- राज्य सरकारें **वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38V के प्रावधानों** के अनुसार **टाइगर रिजर्व** अधिसूचित करती हैं। इसके लिए **राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA)** से सलाह ली जाती है।
- **अधिसूचना में निम्नलिखित चरण शामिल होते हैं:**
  - **राज्य से प्रस्ताव प्राप्त होना;**
  - **वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38V** के अंतर्गत NTCA विस्तृत विवरणों की मांग करते हुए अपनी सैद्धांतिक मंजूरी देता है;
  - NTCA समुचित जांच के बाद राज्य को प्रस्ताव की सिफारिश करता है;
  - **राज्य सरकार** संबंधित क्षेत्र को टाइगर रिज़र्व के रूप में अधिसूचित करती है।

बाघों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए प्रयास

- **प्रोजेक्ट टाइगर:** यह बाघों की आबादी वाले राज्यों को सहायता प्रदान करने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक केंद्र प्रायोजित योजना है।
- **टाइगर रिज़र्व को कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स CA|TS' की मान्यता:** दिसंबर 2023 तक, भारत के कुल **23 टाइगर रिजर्वों को CA|TS मान्यता** प्राप्त हो चुकी है।
- **इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस (IBCA):** भारत ने **बिग कैट्स या बड़े विडाल वंशियों (बड़ी बिल्ली प्रजातियों) और उनके प्राकृतिक परिवेश** के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए IBCA की शुरुआत की है।

"स्टेपिंग बैक फ्रॉम द परेसीपिस: ट्रांसफॉर्मिंग लैंड मैनेजमेंट टू स्टे विदिन प्लैनेटरी बाउंड्रीज" शीर्षक से रिपोर्ट जारी की गई

यह रिपोर्ट **पॉट्सडैम इंस्टीट्यूट फॉर क्लाइमेट इम्पैक्ट रिसर्च ने संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय (UNCCD) के सहयोग** से जारी की है।

इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- **भूमि: भूमि पृथ्वी की स्थिरता की आधारशिला है।** ऐसा इसलिए, क्योंकि यह जलवायु को विनियमित करती है, जैव विविधता को संरक्षित करती है, ताजे जल की प्रणालियों को बनाए रखती है तथा भोजन, जल और कच्चा माल उपलब्ध कराती है।
  - **नौ ग्रहीय सीमाओं या प्लैनेटरी बाउंड्रीज" में से सात** भूमि से संबंधित हैं। ये सीमाएं वैज्ञानिक रूप से निर्धारित की गई हैं, जिनके भीतर मानव सुरक्षित रूप से अस्तित्व में रह सकता है।
    - इन सीमाओं को पार करने से **विनाशकारी पर्यावरणीय बदलाव हो सकते हैं और पृथ्वी प्रणाली अस्थिर हो सकती है।**
- **भूमि का क्षरण:** इसके लिए **मानवीय गतिविधियों** जैसे कि असंधारणीय कृषि पद्धतियां, प्राकृतिक पारिस्थितिकी-तंत्रों में व्यवधान या बदलाव करना, वनों की कटाई और शहरीकरण शामिल हैं
- **प्रभाव: भूमि क्षरण से विश्व भर में 15 मिलियन वर्ग कि.मी. क्षेत्र तथा 1.2 बिलियन लोग प्रभावित** होते हैं।
  - भूमि क्षरण की आर्थिक लागत **प्रतिवर्ष 6.3 से 10.6 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर** के बीच होने का अनुमान है।

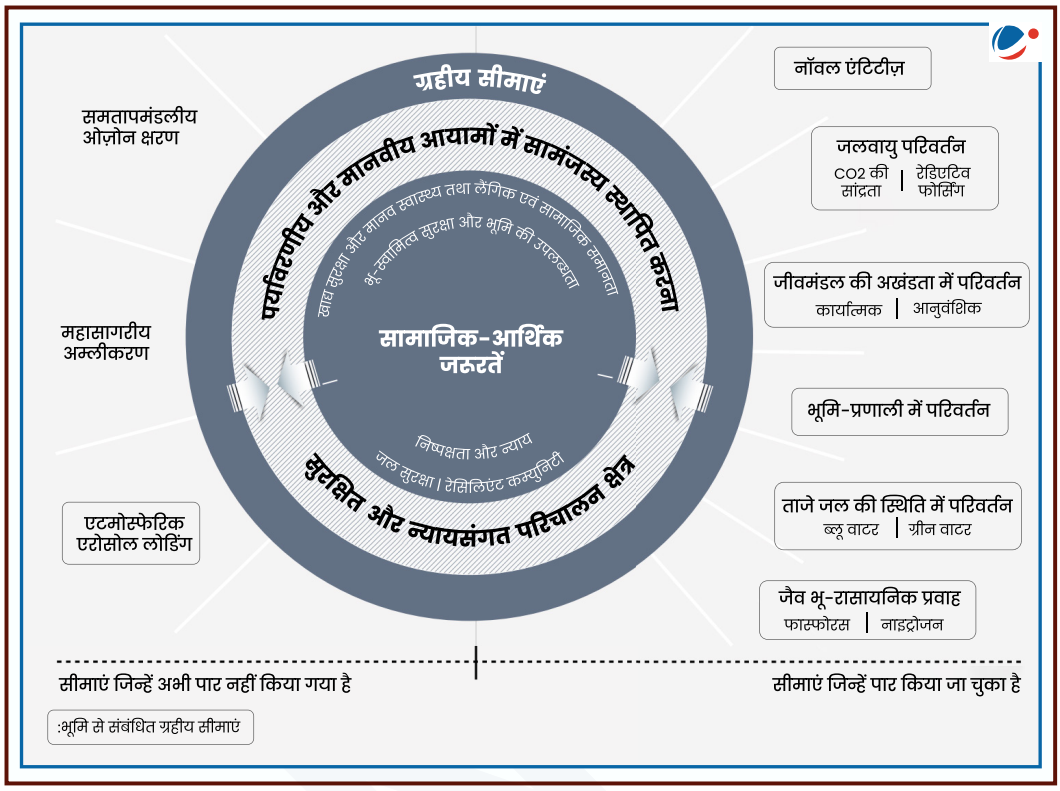

रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशें

- **सक्षमकारी कारक:** इसमें सहयोगात्मक फ्रेमवर्क, आर्थिक प्रोत्साहन, संपत्ति और संसाधन-उपयोग के मामले में स्पष्ट अधिकार, अलग-अलग हितधारकों के बीच प्रभावी समन्वय आदि शामिल हैं।
- **पर्याप्त सार्वजनिक और निजी निवेश:** इसके तहत विशेष रूप से सभी राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय वित्त-पोषण में संधारणीय भूमि उपयोग को बेहतर रूप से शामिल करना चाहिए तथा प्राथमिकता देनी चाहिए।
- **वैज्ञानिक फ्रेमवर्क:** इसमें ग्रहीय सीमा जैसा **वैज्ञानिक फ्रेमवर्क नीति निर्माताओं के लिए** साक्ष्य आधारित नीतिगत निर्णय लेने हेतु व्यावहारिक मार्गदर्शक के रूप में कार्य कर सकता है।

दक्षिण कोरिया के बुसान में प्लास्टिक प्रदूषण संधि पर चल रही वार्ता स्थगित हो गई

दक्षिण कोरिया के बुसान में **प्लास्टिक प्रदूषण पर कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि** अपनाने हेतु पांचवां सत्र आयोजित हुआ था। यह सत्र भी **संधि पर देशों के बीच अंतिम सहमति बनाए बिना समाप्त** हो गया।

- ज्ञातव्य है कि **2022 के संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के संकल्प के तहत प्लास्टिक प्रदूषण संधि का स्वरूप तैयार करने पर वार्ता** की जा रही है।
- इस संधि में **प्लास्टिक के पूर्ण उपयोग चक्र के प्रबंधन** से संबंधित प्रावधान किए जाने हैं। इस चक्र में **प्लास्टिक का उत्पादन, डिजाइन और निपटान** शामिल हैं।

संधि को अंतिम रूप देने में समस्याएं

- **प्लास्टिक के उत्पादन की अधिकतम मात्रा तय करना: यूरोपीय संघ, लैटिन अमेरिकी और अफ्रीकी देश** संधि में प्लास्टिक उत्पादन की अधिकतम मात्रा संबंधी लक्ष्य शामिल करने के **पक्ष** में हैं। **भारत और चीन** जैसे देश इसका **विरोध** कर रहे हैं।
- **अस्पष्ट परिभाषा:** कुछ प्लास्टिक रसायनों और उत्पादों के उपयोग की समाप्ति पर परिभाषाएं स्पष्ट नहीं हैं।
  - संधि के ड्राफ्ट में प्लास्टिक और प्लास्टिक उत्पादों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया था, लेकिन इसमें **माइक्रोप्लास्टिक, नैनोप्लास्टिक, प्राइमरी प्लास्टिक पॉलिमर और रीसाइक्लिंग की स्पष्ट परिभाषाएं नहीं** दी गई थीं।

संधि के प्रति भारत का रुख

- **विकास अवरुद्ध हो सकता है:** भारत ने **प्राइमरी प्लास्टिक पॉलिमर के उत्पादन** को कम या प्रतिबंधित करने वाले किसी भी प्रावधान का **समर्थन करने में असमर्थता** जताई है। भारत का तर्क है कि इससे राष्ट्रों के विकास करने के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं।
- **प्रतिबंध के दायरे को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना:** भारत का कहना है कि संधि का दायरा **केवल प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने तक ही सीमित** होना चाहिए। पर्यावरण पर अन्य बहुपक्षीय समझौतों के प्रावधानों एवं विषयों को इसमें शामिल नहीं करना चाहिए।
- **चरणबद्ध समाप्ति अवधि:** भारत इस संधि में **प्लास्टिक उत्पाद के उपयोग की चरणबद्ध समाप्ति तिथि (फेज आउट) से जुड़ी कोई भी सूची** शामिल करने के पक्ष में नहीं है।
- **सहायता:** संधि के प्रावधानों में किसी देश की परिस्थितियों और क्षमताओं का भी उचित ध्यान रखा जाना चाहिए। साथ ही, विकासशील देशों को **प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सहित वित्तीय और तकनीकी सहायता** के प्रावधान भी शामिल किए जाने चाहिए।

प्लास्टिक प्रदूषण के बारे में

- **मौजूदा स्थिति:** वैश्विक स्तर पर **हर साल 460 मिलियन मीट्रिक टन से अधिक प्लास्टिक का उत्पादन** होता है। इसमें **19-23 मिलियन टन प्लास्टिक अपशिष्ट** जलीय पारिस्थितिकी-तंत्र में मिल जाता है।
- **प्रभाव:** प्लास्टिक प्रदूषण से **जीवों के पर्यावास और प्राकृतिक कार्य-प्रणालियां** प्रभावित होती हैं। इससे जलवायु परिवर्तन के अनुकूल होने की पारिस्थितिकी-तंत्र की क्षमता कम हो जाती है।
  - स्पष्ट है कि इससे **करोड़ों लोगों की आजीविका, खाद्य उत्पादन क्षमता और सामाजिक कल्याण पर सीधा असर** पड़ता है।
- **जलवायु परिवर्तन से संबंध:** लगभग 98% सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पाद जीवाश्म ईंधन से बनाए जाते हैं। ये जीवाश्म ईंधन ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के प्रमुख स्रोत हैं।

FSSAI ने ई-कॉमर्स फूड बिजनेस ऑपरेटर्स (FBOs) के लिए एडवाइजरी जारी की

भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा जारी एडवाइजरी का उद्देश्य ऑनलाइन बेचे जा रहे **खाद्य उत्पादों की सुरक्षा, गुणवत्ता एवं प्रामाणिकता सुनिश्चित** करना है।

एडवाइजरी के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- **विनियामक अनुपालन:** ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके द्वारा बेचे जाने वाले **खाद्य उत्पाद खाद्य संरक्षा और मानक (लेबलिंग एवं प्रदर्शन) विनियम 2020** का अनुपालन करते है।
  - ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर किए जाने वाले सभी दावे **भौतिक लेबल** (फिजिकल पैकेजिंग) पर लिखे गए दावों के अनुरूप होने चाहिए, ताकि **उपभोक्ताओं को गुमराह न** किया जा सके।
- **खाद्य संरक्षा और स्वच्छता:** प्लेटफॉर्म्स को यह सुनिश्चित करने के लिए **लास्ट-माइल डिलीवरी कर्मियों को प्रशिक्षित** करना होगा कि डिलीवरी कर्मचारी खाद्य संरक्षा और स्वच्छता प्रथाओं में अच्छी तरह से प्रशिक्षित हैं।
- **शेल्फ-लाइफ आवश्यकताएं:** डिलीवरी के समय खाद्य उत्पादों की **शेल्फ लाइफ उनकी कुल शेल्फ लाइफ की कम-से-कम 30% तक बाकी** होना, या **डिलीवरी के समय खाद्य उत्पादों की एक्सपायरी में कम-से-कम 45 दिन बाकी होना अनिवार्य है।**
- **विक्रेता की जवाबदेही:** प्लेटफॉर्म्स को **FSSAI लाइसेंस और विक्रेताओं के पंजीकरण नंबर तथा खाद्य व्यवसाय ऑपरेटर्स की स्वच्छता रेटिंग को प्रमुखता से प्रदर्शित** करना होगा।

एडवाइजरी का महत्त्व

- यह ऑनलाइन बेचे जाने वाले **खाद्य उत्पादों की सुरक्षा, गुणवत्ता और प्रामाणिकता सुनिश्चित** करने के लिए काफी महत्वपूर्ण है।
- यह कदम पारदर्शिता और विश्वास को बढ़ाएगा, उपभोक्ता विश्वास को बढ़ावा देगा तथा **खाद्य जनित बीमारियों के जोखिम को कम** करेगा।

FSSAI के बारे में

- **स्थापित:** इसे **खाद्य संरक्षा और मानक अधिनियम, 2006** के तहत स्थापित किया गया है।
- **मंत्रालय:** यह **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय** के अधीन काम करता है।
- **कार्य:** खाद्य पदार्थों के लिए **विज्ञान-आधारित मानक निर्धारित** करता है। खाद्य पदार्थों के निर्माण, स्टोर, वितरण तथा बिक्री को विनियमित करता है।
- **संगठनात्मक संरचना:** इसमें केंद्र द्वारा नियुक्त **एक अध्यक्ष के साथ-साथ 22 सदस्य** शामिल होते हैं, जिनमें से **एक तिहाई सदस्य महिलाएं** होती हैं।

तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक, 2024 राज्य सभा में पारित हुआ

इसका उद्देश्य **तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1948** में आगे संशोधन करना है।

- यह अधिनियम **प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम के अन्वेषण एवं निष्कर्षण को विनियमित** करता है।

इस विधेयक की मुख्य विशेषताओं पर एक नजर

- **खनन परिचालनों से पेट्रोलियम परिचालनों को** अलग करने का प्रावधान किया गया है।
- **खनिज तेलों की परिभाषा का विस्तार** किया गया है। इसमें मूलतः केवल **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** ही शामिल थे। अब इसमें प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले **हाइड्रोकार्बन, कोल बेड मीथेन और शेल गैस/ ऑयल** को भी शामिल कर लिया गया है।
  - इसमें यह भी स्पष्ट किया गया है कि **खनिज तेलों में कोयला, लिग्नाइट या हीलियम शामिल नहीं होंगे।**
- **"पेट्रोलियम पट्टे"** की अवधारणा प्रस्तुत की गई है। यह **खनिज तेल की पूर्वेक्षण, अन्वेषण, विकास, उत्पादन, उसे वाणिज्य योग्य बनाने, उसके परिवहन या निपटान** के उद्देश्य से लिया गया पट्टा है।
- **केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति:** इसमें केंद्र की **पट्टे, संरक्षण और रॉयल्टी को विनियमित करने की शक्तियां बरकरार रखी गई हैं। हालांकि, पट्टों का विलय करने, सुविधा केंद्र साझाकरण, पर्यावरण संरक्षण और विवाद समाधान** के लिए भी प्रावधान जोड़े गए हैं।
- अधिनियम के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन पर जेल भेजने जैसे दंडात्मक उपबंध खत्म कर दिए गए हैं। इसकी जगह आर्थिक जुर्माना लगाया जाएगा।
  - **जुर्माने के संबंध में निर्णय:** न्यायनिर्णय प्राधिकारी के निर्णयों के खिलाफ अपील **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 में उपबंधित अपीलीय अधिकरण के समक्ष की जाएगी।**

इस संशोधन का महत्त्व:

- इससे ऊर्जा की उपलब्धता और ऊर्जा सुरक्षा व किफायती ऊर्जा सुनिश्चित होगी;
- आयात पर निर्भरता में कमी होगी;
- ऊर्जा क्षेत्रक में निवेश के प्रवाह में वृद्धि होगी;
- मजबूत प्रवर्तन प्रणाली सुनिश्चित होगी आदि।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (PNGRB) के बारे में

- **उत्पत्ति:** यह **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है।**
- **कार्य:** पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस के शोधन, परिवहन, वितरण, भंडारण, विपणन, आपूर्ति एवं विक्रय का विनियमन करना।
  - PNGRB **गैस के लिए प्रतिस्पर्धी बाजार भी सुनिश्चित** करता है।
- PNGRB के निर्णयों के खिलाफ **विद्युत अपीलीय अधिकरण के समक्ष अपील** की जाती है।

अन्य सुर्ख़ियां

सुगम्य भारत अभियान

प्रधान मंत्री ने सुगम्य भारत अभियान के **9 वर्ष पूरे** होने पर बधाई दी।

सुगम्य भारत अभियान के बारे में

- इस कार्यक्रम की **शुरुआत 2015** में की गई थी।
- इसका उद्देश्य **तीन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में दिव्यांगजनों की सार्वभौमिक पहुंच** सुनिश्चित करना है। **ये तीन क्षेत्र हैं:**
  - निर्मित अवसंरचना,
  - परिवहन प्रणालियां, और
  - सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) इकोसिस्टम।
- हालांकि, **सुगम्य भारत अभियान** को मार्च 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य था, लेकिन इसके उद्देश्यों को अब **दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए योजना (SIPDA)** के व्यापक दायरे के तहत **बाधा मुक्त परिवेश योजना** में समाहित कर लिया गया है।

अखिल भारतीय आवास मूल्य सूचकांक (HPI)

भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना त्रैमासिक आवास मूल्य सूचकांक (AHPI) जारी किया।

- **HPI:** इसमें **वित्त-वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही में सालाना आधार पर 4.3% की वृद्धि** हुई है, जो पिछली तिमाही में 3.3% थी।
- **HPI के तहत बेंगलुरु** में सबसे अधिक 8.8% की वृद्धि देखी गई है, जबकि **कानपुर में -2.0% की गिरावट** देखी गई है।

अखिल भारतीय आवास मूल्य सूचकांक के बारे में

- **आधार वर्ष:** 2010-11 = 100.
- **डेटा स्रोत:** 10 प्रमुख शहरों के पंजीकरण प्राधिकरणों से प्राप्त ट्रांजेक्शन डेटा।
- **कवर किए गए शहर:** अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, जयपुर, कानपुर, कोच्चि, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई आदि।

रिस्ट्रिक्टेड रिटर्न InvITs

सेबी (SEBI) ने रिस्ट्रिक्टेड रिटर्न इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स (InvITs) के लिए एक फ्रेमवर्क को प्रस्तावित की है।

- InvITs **म्युचुअल फंड्स** की तरह निवेश योजनाएं हैं। ये **व्यक्तियों और संस्थागत निवेशकों को अवसंरचना परियोजनाओं में निवेश करने की अनुमति** प्रदान करती हैं, ताकि वे प्रतिफल के रूप में आय प्राप्त कर सकें।

रिस्ट्रिक्टेड रिटर्न InvITs के बारे में

- InvIT का प्रायोजक **निवेशक को एक निश्चित प्रतिफल या लाभांश की गारंटी प्रदान** कर सकता है।
  - यदि निर्धारित **रिटर्न या लाभांश जनरेट नहीं** होता है, तो प्रायोजक अपने स्वयं के फंड से इस कमी को पूरा करने के लिए कदम उठाता है। इससे निवेशक के नुकसान की भरपाई होती है।
  - लेकिन अगर **लाभांश निर्धारित सीमा से अधिक हो जाता है, तो अतिरिक्त राशि प्रायोजक को मिलेगी। इसका अर्थ है कि निवेशक की अधिकतम कमाई (upside) एक सीमा पर सीमित (cap)** हो जाएगी।

बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024

लोक सभा ने **बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 पारित** किया।

इस विधेयक के मुख्य प्रावधानों पर एक नजर

- यह **RBI अधिनियम 1934, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, SBI अधिनियम 1955** आदि महत्वपूर्ण अधिनियमों में संशोधन करता है।
- **नकद भंडार (कैश रिजर्व्स) के लिए पखवाड़े (फोर्टनाइट) की परिभाषा:** RBI अधिनियम के तहत, अनुसूचित बैंकों को नकदी भंडार के रूप में RBI में औसत दैनिक शेष का एक निश्चित स्तर बरकरार रखना होता है। यह औसत दैनिक शेष एक पखवाड़े के प्रत्येक दिन के कारोबार की समाप्ति पर बैंकों द्वारा रखे गए शेष के औसत पर आधारित होता है। यह विधेयक पखवाड़े की परिभाषा को अनुसूचित व गैर-अनुसूचित दोनों तरह के बैंकों के लिए निम्नलिखित अवधि में बदलता है:
  - प्रत्येक महीने के पहले दिन से पंद्रहवें दिन तक, या
  - प्रत्येक महीने के सोलहवें दिन से अंतिम दिन तक।
- **बैंकिंग विनियमन अधिनियम किसी बैंक के निदेशक को लगातार आठ वर्षों से अधिक समय तक पद पर बने रहने से निषिद्ध करता है। विधेयक में सहकारी बैंकों के लिए इस अवधि को बढ़ाकर 10 वर्ष किया गया है।**
- यह विधेयक **निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (IEPF)** में हस्तांतरित की जाने वाली धनराशि के दायरे को विस्तृत करता है। इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:
  - ऐसे शेयर जिनके लिए लगातार सात वर्षों तक लाभांश का भुगतान नहीं किया गया है या उस पर दावा नहीं किया गया है, और
  - बॉण्ड्स के लिए कोई ब्याज या रिडम्पशन राशि जिसका सात वर्षों से भुगतान नहीं किया गया है/ जिस पर दावा नहीं किया गया है।

UNCCD के COP-16 में नई पहलें लॉन्च की गई

सऊदी अरब की अध्यक्षता में UNCCD के COP-16 के दौरान निम्नलिखित **तीन नई पहलें** शुरू की गईं:

- **रियाद ड्रॉट रेजिलिएंस पार्टनरशिप:** इसके तहत सबसे सुभेद्य और सूखा प्रभावित **80 देशों को सहायता** प्रदान करने के लिए सार्वजनिक और निजी वित्त का उपयोग किया जाएगा।
- **वर्ल्ड ड्रॉट एटलस:** इसे **यूरोपीय आयोग संयुक्त अनुसंधान केंद्र (JRC)** और अन्य भागीदारों के सहयोग से UNCCD द्वारा लॉन्च किया गया है।
  - इसमें ऊर्जा, कृषि, नदी परिवहन और व्यापार जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रकों में सूखे से संबंधित प्रणालीगत जोखिमों को दर्शाया गया है।
- **इंटरनेशनल ड्रॉट रेजिलिएंस ऑब्ज़र्वेटरी (IDRO):** इसे **इंटरनेशनल ड्रॉट रेजिलिएंस अलायंस (IDRA)** ने लॉन्च किया है।
  - यह सूखे से निपटने के लिए पहला वैश्विक, **AI-संचालित डेटा प्लेटफॉर्म है।**

दक्षिण कोरिया का मार्शल लॉ

हाल ही में, दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ने **आपातकालीन मार्शल लॉ** की घोषणा की।

- कोरिया गणराज्य की स्थापना के बाद से अब तक वहां **16 बार मार्शल लॉ** लगाया जा चुका है। इसे आखिरी बार **1980** में लगाया गया था।

मार्शल लॉ के बारे में

- **मार्शल लॉ:** इसमें **सिविल प्रशासन को निलंबित** कर दिया जाता है, तथा **संसद, मीडिया और राजनीतिक दलों पर सैन्य नियंत्रण** हो जाता है।
- **संवैधानिक आधार: दक्षिण कोरिया के संविधान के अनुच्छेद 77** के अनुसार , लोक सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय आपातकाल के समय मार्शल लॉ की उद्घोषणा की जा सकती है।

भौगोलिक संकेतक (GI) टैग

गुजरात की पारंपरिक विवाह की साड़ी 'घरचोला' को GI टैग दिया गया है।

- यह साड़ी **लाल, मैरून, हरे और पीले** जैसे शुभ रंगों में तैयार की जाती है। पारंपरिक रूप से इसे **हिंदू और जैन विवाहों** के अवसर पर पहना जाता है।

GI टैग के बारे में

- GI एक प्रतीक है, जिसका उपयोग उन उत्पादों पर किया जाता है, जिनकी एक **विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति** होती है तथा इस विशिष्ट **भौगोलिक उत्पत्ति के कारण** उनमें विशिष्ट गुण या प्रतिष्ठा होती है।
- भारत में यह **वस्तुओं का भौगोलिक संकेतक (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999** के तहत दिया जाता है।
  - भौगोलिक संकेतक का पंजीकरण **10 वर्षों की अवधि के लिए वैध** होता है, जिसे **बाद में नवीनीकृत** कराया जा सकता है।
- **लाभ:** यह विशेष उत्पाद के अनधिकृत उपयोग के खिलाफ कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। साथ ही, उस उत्पाद के निर्यात को बढ़ावा देता है तथा उत्पाद की गुणवत्ता और विशिष्टता का आश्वासन देता है।

उष्णकटिबंधीय पादप सुबाबुल

हाल ही में, **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में उन्नत अध्ययन संस्थान (IASST), गुवाहाटी** के शोधकर्ताओं ने **टाइप-II मधुमेह से संबंधित इंसुलिन प्रतिरोध के प्रबंधन** में सुबाबुल के चिकित्सीय महत्त्व को उजागर किया है ।

सुबाबुल (ल्यूकेना ल्यूकोसेफाला) के बारे में

- यह एक तेजी से बढ़ने वाला पारंपरिक औषधीय फलीदार वृक्ष है। यह **उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों का स्थानिक** वृक्ष है।
- पारंपरिक रूप से नृजातीय समुदायों द्वारा इसका इसके पोषण मूल्य के कारण उपयोग किया जाता है। इसकी पत्तियों और बीजों को कच्चा खाया जाता है या प्रोटीन व फाइबर के समृद्ध स्रोत के रूप में सूप एवं सलाद के रूप में भी खाया जाता है।

MH-60R हेलीकॉप्टर

हाल ही में, **संयुक्त राज्य अमेरिका** ने अपने विदेशी सैन्य बिक्री कार्यक्रम के तहत **भारत को MH-60R हेलीकॉप्टरों के लिए सहायक उपकरणों की बिक्री हेतु 1.17 बिलियन डॉलर के सौदे को मंजूरी दी है।**

- भारतीय नौसेना ने मार्च 2024 में **कोच्चि में INS गरुड़ पर** MH-60R सीहॉक बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टरों का **पहला स्क्वाड्रन कमीशन** किया था।
  - **ये 24 लॉकहीड मार्टिन/ सिकोरस्की MH-60R सीहॉक** के लिए 2.6 बिलियन डॉलर के विदेशी सैन्य बिक्री सौदे का हिस्सा हैं।

MH-60R हेलीकॉप्टर के बारे में

- ये हेलीकॉप्टर **पनडुब्बी-रोधी युद्ध (ASW) और सतह-रोधी युद्ध (ASuW)** की क्षमता प्रदान करते हैं।
- इन्हें **तट और जहाज दोनों से संचालित** किया जा सकता है।
- इनमें **उन्नत डिजिटल सेंसर्स लगे हुए हैं, जैसे- मल्टी-मोड रडार, इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर्स सिस्टम, इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल/ इन्फ्रारेड कैमरा** आदि।

एक्स्ट्राक्रोमोसोमल DNA (ecDNA)

अध्ययनों से पता चला है कि **ecDNA किस प्रकार कैंसर की प्रगति और दवा प्रतिरोध को बढ़ाता है।**

एक्स्ट्राक्रोमोसोमल DNA (ecDNA) के बारे में

- ये **गुणसूत्रों से अलग होकर नाभिक में स्वतंत्र रूप** से मौजूद रहते हैं। ये सूक्ष्म चक्रीय डीएनए खंड हैं।
- **उत्पत्ति:** DNA क्षति (जैसे, क्रोमोथ्रिप्सिस) या DNA प्रतिकृति के दौरान त्रुटियों के कारण निर्मित होते है।
- **कैंसर में ecDNA की भूमिका:**
  - यह कुछ **ट्यूमर प्रकारों में 90%** तक पाया जाता है। इन ट्यूमर्स के प्रकारों में **ब्रेन ट्यूमर, लिपोसारकोमा और स्तन कैंसर** शामिल हैं।
  - ecDNA में प्रायः अनेक **ऑन्कोजीन** होते हैं, जो **ट्यूमर वृद्धि और दवा प्रतिरोध को बढ़ावा** देते हैं।
    - ऑन्कोजीन उत्परिवर्तित जीन होते हैं। ये **कैंसर उत्पन्न** करने में सक्षम होते हैं तथा ट्यूमर के विकास को सक्रिय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।